

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल  
पी-3 सी, 244,245 हाउसिंग बोर्ड कालोनी नया रायपुर,  
अधिसूचना

दिनांक 31/01/2017

क्रमांक.....415..... छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी जैसे किडनी रोग, सिकलीन, (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एड्स, लकवा रोग के ईलाज हेतु रुपये 20 हजार तक लाभ दिये जाने का प्रावधान था किन्तु मण्डल की बैठक दिनांक 01.09.2016 को लिये गये निर्णय के परिपालन में समस्त पंजीकृत श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीयन की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के कारण मण्डल की बैठक दिनांक 09.12.2016 को निर्णय लिया गया है कि मण्डल द्वारा संचालित योजना, "गंभीर बीमारी चिकित्सा योजना" को समाप्त किया जावे, तदानुसार मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में "गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना" तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)  
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल

रायपुर, दिनांक 31/01/2017

पृ0क0 / / 2118-2126  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ..... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल